पॉवर अगेंस्ट नॉलेजः
सीपीआर के एफसीआरए लाइसेंस का निलंबन

द हिन्दू

पेपर-II
(भारतीय राजव्यवस्था)

देश के प्रमुख थिंक टैंक सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) के विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) लाइसेंस को निलंबित करने का भारत सरकार का निर्णय सैद्धांतिक और धारणात्मक दोनों ही स्तरों पर खराब है। अधिकारियों द्वारा जिन कारणों का हवाला दिया जा रहा है, उनमें सीपीआर के कर्मचारियों की आयकर संबंधी कागजी कार्रवाई में चूक, लेखाबही में उचित प्रक्रिया की कमी और पुस्तकों के प्रकाशन के लिए धन का गलत उपयोग शामिल है, जो अधिकारियों का आरोप है कि सीपीआर के उद्देश्यों का हिस्सा नहीं है।

कानून का दुरुपयोग या सच्चाई को बाहर लाना

इस पूरी कवायद में प्रतिष्ठित संस्थान को कानूनी प्रक्रियाओं के दलदल में घसीटने की उत्सुकता साफ झलक रही है। सीपीआर सरकारों, सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों के सहयोग से शासन में सुधार और अन्य चीजों के साथ राज्य की क्षमता बढ़ाने पर काम कर रहा है। ऐसे कई समर्थक समूह और अभियान हैं जिन पर पिछले कुछ दिनों के दौरान सरकारी कार्रवाई की गाज गिरी है, लेकिन सीपीआर के खिलाफ कार्रवाई सत्ता प्रतिष्ठान के लिहाज से सहिष्णुता की सीमा में अप्रत्याशित गिरावट का संकेत है। यह सभी प्रकार के ज्ञान सृजन के प्रति एक अकथनीय शत्रुता को दर्शाता है।

विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए)

एफसीआरए को 1976 में आपात स्थिति के दौरान इस आशंका के माहौल में सक्रिय किया गया था कि विदेशी शक्तियाँ स्वतंत्र संगठन के माध्यम से धन भेजकर भारत के परमाणु मामलों में हस्तक्षेप कर रही हैं।

एफसीआरए

एफसीआरए, विदेशी दान प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति या एनजीओ को अधिनियम के तहत पंजीकृत होना, विदेशी धन की निगरानी के लिए एक बैंक खाता खोलना और उन निधियों का उपयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए करने की आवश्यकता है जिसके लिए उन्हें प्राप्त किया गया है, जैसा कि यह अधिनियम में निर्धारित है।

यह अधिनियम दस्तावेजों के लिए पत्रिका, पत्रिका या समाचार पत्र और मीडिया प्रसारण प्राधिकरण, न्यायाधीशों और सरकारी कर्मचारियों, विधायिका के सदस्यों और राजनीतिक दलों या उनके अधिकारियों व राजनीतिक प्रकृति के संगठन द्वारा विदेशी धन प्राप्त करने पर रोक लगाता है।

एफसीआरए

एफसीआरए यह सुनिश्चित करने का एक नियामक तंत्र है कि विदेशी निहित स्वार्थी तत्व भारत की घरेलू राजनीति को अनावश्यक रूप से प्रभावित न कर सकें, लेकिन इस कानून के व्यापक इस्तेमाल से गैर-सरकारी क्षेत्र को पंगु बना देने की कार्रवाई अविवेकपूर्ण प्रतिशोध को दर्शाती है।

संशोधन:

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) को 2010 में संशोधित किया गया है जिसके तहत भारत में व्यक्तियों के विदेशी धन को एफसीआरए अधिनियम के तहत विनियमित और गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। अधिनियम यह सुनिश्चित करता है कि विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले उस उद्देश्य का पालन करते हैं, जिसके लिये यह योगदान प्राप्त किया गया है। अधिनियम के तहत संगठनों को प्रत्येक पांच वर्ष में अपना पंजीकरण कराना आवश्यक है।

वर्ष 2020 में भारत सरकार ने FCRA में संशोधन का प्रस्ताव दिया था, जिसने गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), व्यक्तियों और अन्य संगठनों को विदेशों से योगदान किये गए धन को प्राप्त करने या उपयोग करने पर नए प्रतिबंध लगाए।

विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन नियम, 2022 के तहत विदेश में रहने वाले रिश्तेदार 10 लाख रुपये अब बिना रुकावट भेज सकेंगे जो पहले 1 लाख था। अब प्रशासनिक मद में विदेशी चंदे की 20 प्रतिशत से ज्यादा रकम खर्च करने की अनुमति नहीं। विदेशी अंशदान की रकम 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो प्राप्तकर्ता 90 दिन के भीतर उसकी सूचना सरकार को दे सकता है, पहले 30 दिन में ही सूचना देने का प्रावधान था। इसके लिए नियम छह में बदलाव किया गया है।

भारत में उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान के बढ़ावे पर असर

भारत की नई शिक्षा नीति, देश में उच्च शिक्षा और अनुसंधान के स्तर को बढ़ाने के लिए भारतीय एवं वैश्विक संस्थानों के बीच शैक्षणिक आदान-प्रदान और सहयोग की परिकल्पना की गई है। भारत तकनीकी उत्कृष्टता और विनिर्माण के केन्द्र के रूप में भी उभरना चाहता है। हाल ही में दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालयों ने भारत में परिसर स्थापित करने की अपनी योजना की घोषणा की, लेकिन सीपीआर पर प्रतिबंध जैसी राज्य की असुरक्षा बोध से उपजी प्रतिक्रियावादी कार्रवाइयाँ भारत की ऐसी वैश्विक महत्वाकांक्षाओं के आड़े आ रही हैं।

संभल कर नियमों का प्रयोग करना चाहिए

दुनिया के साथ सहयोग के लिए दोनों दिशाओं में सूचना, कर्मियों और धन के प्रवाह की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से इन सभी पर प्रतिबंध हर जगह नियम का हिस्सा है, और स्वीकार्य भी है, लेकिन इनका प्रयोग कम से कम किया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

यह मानना कि भारतीय सोच को विदेशी सोच से अलग रखा जाना चाहिए और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी एवं पूंजी प्रवाह की तलाश भी की जानी चाहिए, एक विरोधाभास है। चाहे जो हो, भारत की तरह तेज़ी से आगे बढ़ रहे एक देश के लिए अनुसंधान की क्षमता में बड़े पैमाने पर विस्तार समय की माँग है। ज्ञान के क्षितिज का लगातार विस्तार करने के लिए सार्वजनिक वित्तपोषण के साथ-साथ निजी और धर्मादा वित्तपोषण भी अनिवार्य है। सरकार को न सिर्फ सहिष्णुता बरतनी चाहिए, बल्कि सीपीआर जैसे कई और संस्थानों के उदय को सुविधाजनक बनाना चाहिए।

संभावित प्रश्न (Expected Question)

प्रश्न : विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. एफसीआरए द्वारा, गैर-सरकारी संगठनों (NGOs), व्यक्तियों और अन्य संगठनों को प्राप्त विदेशी धन व दान को विनियमित किया जाता है।
2. विदेश में रहने वाले रिश्तेदार 10 लाख रुपये तक बिना किसी रुकावट के भेज सकते हैं।
3. विदेशी अंशदान की रकम 10 लाख रुपये से अधिक होगी तो प्राप्तकर्ता 90 दिन के भीतर उसकी सूचना सरकार को दे सकता है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

(a) केवल 1
(b) केवल 2
(c) केवल 3
(d) 1, 2 और 3

Que. With reference to Foreign Contribution (Regulation) Act (FCRA), consider the following statements-

1. Foreign funds and donations received by non-governmental organizations (NGOs), individuals and other organizations are regulated by the FCRA.
2. Relatives living abroad can send up to Rs 10 lakh without any hindrance.
3. If the amount of foreign contribution exceeds Rs 10 lakh, then the recipient can inform the government within 90 days.

Which of the statements given above is/are correct?

(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Only 3
(d) 1, 2 and 3

उत्तर : D

संभावित प्रश्न व प्रारूप (Expected Question & Format)

प्रश्न : विदेशों से प्राप्त धन व दान को विनियमन हेतु लाये गए, विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। **(250 शब्द)**

उत्तर का दृष्टिकोण :-

- एफसीआरए के बारे में बताएं।
- इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक पक्ष को बताएं।
- वर्तमान परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए, संतुलित निष्कर्ष दीजिए।

नोट : अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्त्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।